बिहार विधान-सभा वादवृत

वृहस्पतिवार, तिथि १८ जून, १९७०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १८ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

नेपाल अवमूल्यन भत्ता ।

२७६ । श्री विपिन बिहारी सिंह—क्या मंत्री, नदी-घाटी योजना (गंडक शाखा) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि चम्पारन जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर, गंडक योजना में काम करनेवाले कर्मचारी जिनकी बदली ३१ दिसम्बर १९६७ के पहले सूर्यपुरा (नेपाल) में ताप बिजली योजना में की गई है, उन्हें नेपाल अवमूल्यन भत्ता मिलता है, जब कि दिसम्बर, १९६७ के बाद भेजे गए उसी बिजली घर के कर्मचारी को वह भत्ता नहीं मिलता है ;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ऐसी विषमता का क्या कारण है और इसका परिमार्जन सरकार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री लहटन चौधरी—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है, पर सुसंगत तिथि ८-१२-६७ है ।

(२) नेपाल में पदस्थापित राज्य-सरकार के कर्मचारियों को ६-६-१९६७ को भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक क्षति न उठानी पड़े, इसलिए

(४) और (५) उपरोक्त दो सर्विसों को सिमडेगा तक विस्तार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि कोलेबीरा से सिमडेगा मार्ग अधिसूचित है। और निजी वाहक को अधिसूचित मार्ग पर विस्तार नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में यह कहना है कि कोलेबीरा सिमडेगा मार्ग पर बहुत सी सर्विसें चलती हैं जिससे यात्रियों की जरूरतें पूरी हो जाया करती है।

भागलपुर से साहेबगंज तक बस-सेवा।

१३११। श्री अम्बिका प्रसाद—क्या मन्त्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भागलपुर से साहेबगंज तक राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें चलाना चाहती है, यदि 'हां', तो कबतक और यदि 'नहीं', तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, परिवहन विभाग—भागलपुर-साहेबगंज मार्ग सम्प्रति अधिसूचित नहीं है। साधारणतः अनुधिसूचित मार्गों पर निगम की बसें नहीं चलती हैं। कुछ अन्य मार्गों के साथ-साथ इस मार्ग को भी अधिसूचित करने के प्रश्न पर निगम विचार करेगी।

बस-पड़ाव की स्थापना।

१३१२। श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मन्त्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि नवादा सब-डिविजन (गया) से पूरब की ओर एक पक्की सड़क जमुई तक गई है जिस पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त रूट में ही नवादा से ७ मील की दूरी पर वाघी बरडीहा नामक ग्राम स्थित है जो घनी आबादी-क्षेत्र है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त रूट में राज्य पथ-परिवहन को एक बस-पड़ाव भी है जो वाघी बरडीहा ग्राम से आधा मील की दूरी पर स्थित है जिससे वहां के ग्रामीणों को बसें पकड़ने में काफी असुविधा है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त बस-पड़ाव के अतिरिक्त एक और बस-पड़ाव की स्थापना वाघी बरडीहा ग्राम के समीप करना चाहती है; यदि 'हां', तो कबतक, 'नहीं', तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, परिवहन विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) एवं (४) बाघी बरडीहा से आधा मील की दूरी पर निगम की तरफ से कोई खास बस-पड़ाव की व्यवस्था नहीं है। निगम की सभी बसें (केवल द्रूतगामी-छोड़कर) यात्रियों के आग्रह पर जगह-जगह रुका करती हैं। जहाँ तक बाघी बरडीहा ग्राम में बस पड़ाव की व्यवस्था करने का प्रश्न है, सम्प्रति इस तरह की योजना निगम के समक्ष नहीं है।

निलम्बन आदेश।

१३१४। श्री साधु शरण शाही—क्या मन्त्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रतिष्ठान का सम्बाहक श्री के० के० सिंह प्रथम ने सिकुरिटी ऑफिसर को दिनांक २०-३-१९७०. को अपमान किया तथा गाड़ी जांच नहीं करने दिया और गाड़ी ले भागा;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सम्बाहक को सिकुरिटी ऑफिसर की रिपोर्ट करने पर निलम्बित कर दिया गया था;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त निलम्बन का आदेश लागू नहीं किया गया;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बता सकती है कि उक्त सम्बाहक पर से निलम्बन किसके आदेश से बिना जांच-पड़ताल के ही निलम्बन आदेश को लागू होने के पूर्व उठा लिए जाने का क्या कारण है?

प्रभारी मन्त्री, परिवहन विभाग—(१) यह बात सही नहीं है कि सम्बाहक ने सिकुरिटी ऑफिसर को अपमानित किया। बात यह है कि उक्त सम्बाहक सिकुरिटी ऑफिसर के संकेत को न समझ सका और गाड़ी खड़ी नहीं कर सका ताकि इसकी जांच हो सके।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।